UPUN050031912019

न्यायालय सिविल जज सी0डि0, उन्नाव
दीवानी वाद संख्या–247/2019
रावेन्द्र सिंह आदि.....बनाम.....अमोल सिंह आदि।

दिनांक- 08.03.2025

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थना–पत्र 59क बाबत वाद वापस पर वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

<u>निस्तारण प्रार्थना–पत्र 59क</u>

59क प्रार्थन–पत्र वादीगण की ओर से संक्षेप में इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि निवेदन है कि उपरोक्त लिखित मुकदमा वादीगण में अपने बुजुर्गों द्वारा स्थापित गोण्डा पर जबरदस्ती कब्जा करने व निर्माण कार्य कराने से प्रतिवादीगण को निषेधित कराने हेतु दाखिल किया, लेकिन वादपत्र दाखिल करते समय भ्रम व गलती से बुजुर्गो के मध्य हुये आपसी पारिवा. रिक बंटवारा की बाबत वादपत्र में उल्लेख करनें से छूट गया है जो कानूनी त्रुटि है, जिसकी बाबत भविष्य में वादीगण के दावा पर कानूनी त्रुटि के कारण विपरीत असर पड़ सकता है और वादीगण मौके पर अपने बुजुर्गो द्वारा स्थापित गोण्डा पर शान्तिपूर्ण ढंग से काबिज दखील हैं और वादीगण का सामान कास्तकारी व निर्माण आदि स्थित है। चूँकि कानूनी त्रुटि को संशोधन द्वारा दुरूस्त किया जाना सम्भव नहीं है, इसलिए वादीगण अपना वाद वापस लेना चाहते हैं और पुनः आवश्यकता पड़नें पर कानूनी त्रुटियों को दुरूस्त करके दाखिल करेंगें। इसलिए वादीगण का दावा पुनः दायर करने की अनुमति के साथ वापस किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण/प्रार्थीगण का दावा, पुनः दायर करने की अनुमति के साथ, वादीगण को वापस करनें की कृपा करें।

विपक्षीगण द्वारा हर्जे हेतु आपित्ति की गई है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अब वादिनी उपरोक्त वाद नहीं लड़ना चाहता है। ऐसे में जब वादिनी वाद को नहीं चलाना चाहती है तो उसे विवश नहीं किया जा सकता है। अतः प्रस्तुत वाद को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। वादिनी का प्रार्थना–पत्र बावत वाद वापसी न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना–पत्र 59क न्यायहित में मु0 200/–रू0 हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वादिनी का वाद पुनः दायर करने की अनुमति के साथ नियमानुसार वापस किया जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दााखिल दफ्तर हो।

देवेन्द्र कुमार II
सिविल जज (सी0डि0),
उन्नाव।
आई0डी0 नं0– UP 2154